

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2020/1144

दिनांक 04.1.2021

### आदेश

शिक्षा ग्रुप-3 के आदेश दिनांक 31.12.2020 (आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर आदेश क्रमांक एफ1(01)स्था/HRD/आकाशि/2020/1137 दिनांक 31.12.2020 के जारी कार्यव्यवस्थार्थ आदेश के अधिकमण में निम्नांकित कॉलेज शिक्षा व्याख्याता (RVRES) को निम्नानुसार दिनांक 04.02.2021 तक कार्यव्यवस्थार्थ लगाया जाता है।

| क्र.स. | नाम                  | विषय               | कहा सं            | कहा किया         |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1      | बृजमोहन खत्री        | एबीएसटी            | फलोदी जौधपुर      | नोखा             |
| 2      | राघवेन्द्र स्वामी    | रसायन शास्त्र      | सांभर लेक जयपुर   | जमवारामगढ, जयपुर |
| 3      | सोना जैन             | अर्थशास्त्र        | कोटपूतली जयपुर    | जमवारामगढ, जयपुर |
| 4      | नरेश कुमार           | हिन्दी             | कालाडैरा          | नवलगढ झुन्झुनू   |
| 5      | सुनिता खुटेटा        | गृह विज्ञान        | नीम का थाना कन्या | पीपलू कन्या      |
| 6      | संजय जैन             | ईएफएम              | भोपालगढ           | बालोतरा          |
| 7      | धीरेन्द्र सिंह महनोत | एबीएसटी            | सांभर लेक जयपुर   | किशनगढ अजमेर     |
| 8      | दिनेश कुमार शर्मा    | व्यावसायिक प्रशासन | नीमकाथाना         | नवलगढ झुन्झुनू   |
| 9      | कुंज बिहारी बंसल     | रसायन शास्त्र      | दौसा              | टोंक             |
| 10     | रीटा श्रीवास्तव      | राजनिति विज्ञान    | भवानीमंडी         | बून्दी           |

  
(संदेश न्यतिक)


आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2020/1144

दिनांक: 04.1.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा.टीप क्रमांक वी.स./रा.म./उ.शि./2020/24 दिनांक 04.01.2021 के संदर्भ में।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को अविलम्ब पालनार्थ।
- सम्बन्धित व्याख्याता को पालनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
- रक्षित पत्रावली।

  
04/01/2021.

(डॉ.आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर